प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या. 146/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा' विषय पर जारी परामर्श पत्र में टिप्पणियाँ/ प्रति- टिप्पणियाँ भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाई।

नई दिल्ली, 08 दिसंबर 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 10 नवंबर 2025 को 'इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ लिखित रुप से जमा करने की अंतिम तारीख क्रमश: 8 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी।

2. उद्योग संघों और हितधारकों से उक्त परामर्श पत्र पर टिप्पणियों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियों और प्रति- टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तारीख क्रमश: 15 दिसंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा को ईमेल आइडी adv-nsl1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं और इसकी प्रति ja2-nsl2@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है।

4. किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 8/12/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा